

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट (प्रोजेक्ट पूरा होने के अंतिम चरण में है) के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpahryana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

Akt DV ds fooj.k

1- dkWkabt j@Moyij	स्टर्नल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
2- Ákt DV dls Ákr Lolñfr	लाइसेंस नं./वर्ष - 14 /2016 दिनांक : 26.09.2016, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि : 09.01.2017. मेमो नं. ZP-1130/SD(BS)/2017/487. हरियाणा रेस प्रमाणित नं.: 02 of 2017 दिनांक 19.06.2017.
3- LFku	सेक्टर 36, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा।
4- Ákt DV dls {ks-Qy l ralk Álo/knu	हाउसिंग रक्कीम के अंतर्गत 9.775 एकड़ में कुल 1304 अपार्टमेंट में से 85 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पौंपिसी अनुसार 5% पॉर्ट मैनेजमेंट कार्य में आवश्यक हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक आँगनवाड़ी-सह-क्रेश।

5- viWzv dsfooj.k vloVu nj vlg Härku dsfu; e

अपार्टमेंट के विवरण				अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	परिया (वर्गफुट)	बाल्कनी परिया लगभग (वर्गफुट)			
1BHK कैटेगरी 1	42	488.11	79.31	17,96,851	89,843	3,59,370
2BHK कैटेगरी 2	9	583.04	110.31	21,48,944	1,07,447	4,29,789
2BHK कैटेगरी 2	25	531.57	82.12	19,54,712	97,736	3,90,942
2BHK-MQ कैटेगरी 3	5	584.34	108.24	21,53,624	1,07,681	4,30,725
2BHK-MQ कैटेगरी 3	2	532.53	89.53	19,61,873	98,094	3,92,375
2BHK-MQ कैटेगरी 3	2	551.24	89.53	20,29,229	1,01,461	4,05,846

ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दोषान 6 महीने तक बारबर किसीमें भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई व्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी छूट के लिए हर्जाना व्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियमक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।

6- i kldx

7- viWzv ds cljs ea l kldx fooj.k	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुखिया वाहन पार्किंग।
	पॉलोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड /सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्लिकड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्लिकड /मैट किनिश सिरामिक टाइल्स, • लॉकिंग : IS कोर्ड के अनुसार M.S. सेक्सन /अल्युमिनियम पाउडर कोटेड /UPVC • दरवाजों के फ्रेम : रेड मर्सी /माइल्ड स्टील /अल्युमिनियम पाउडर कोटेड /UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑफल ऑफल बाउंड डिस्ट्रिब्यूटर • किचन काउटर टॉप ग्रीन मार्बल /ब्रेनार्ट • दीवार : ऑफल बांड डिस्ट्रिब्यूटर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग, W.C. और बैंश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क RCC फ्रेम स्ट्रक्चर जो नवीनतम IS कोर्ड और NBC के सुझाओं के अनुसार सीजिमिक बलों का ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

8- vlosu dh le; l hekj

i) आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2018 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर स्टर्नल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड पता : ग्राउंड फ्लोर, सिनेमेंट टावर्स, साउथ सिस्टी-1, गुरुग्राम-122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें : 7053-121-1211) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 19.09.2018. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑफलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।

; lk rk %

1. आवेदक पर किसी भौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर वायकारी करार करने पर रोक नहीं हो।
2. आवेदन कोई भी कर सकता है जो लॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आक्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विभाग, हरियाणा के तहत की गई है। पहली प्राथमिकता कठित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बारे में हाउसिंग राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे प्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आक्रित संतान की प्राथमिकता दी जाएगी जिनका लॉटलोनी/सेक्टर वा हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राझीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस कॉलोनी में अपना प्लैट/प्लॉट नहीं हो।
3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य प्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पर्सन दो केवल एक प्लैट चुनना होगा।

vloVu ds ekud %

1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में प्रायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), सबक्ष जिले के लॉट्रीपी और संबद्ध कोलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे।
2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएंगे।
3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जॉच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpahryana.gov.in पर उपलब्ध है।)



THE Serenas®
SECTOR 36, SOHNA, GURUGRAM, HARYANA



12 ylk #i;s ds vlok _ .k ij PMAY 1/kuesh vlok ; kt uk ds rgr yxHk 2-67 ylk #i;s; kt l cfl Ml dk ylk mBk ;

HOME LOAN PARTNERS | **HDFC HOME LOANS** | **ICICI Bank Home Loans** | **pnb Housing Finance** | **YES BANK** | **TATA CAPITAL** | **ART** | **Indiabulls Housing Finance** | **Shriram Housing Finance** | **CAPRI Home Finance** | **ADOL Home Finance**

Disclaimer: The Real Estate (Regulation and Development) Act 2016 and the rules made there under have brought significant changes to the real estate sector. The promoter/developer is fully committed to be compliant with the provisions laid down under REERA. Promoter/Developer urges every applicant to inspect the site where the project is proposed to be constructed and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore requested to make personal judgment prior to submitting an application for booking. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only further the actual design may vary in fit and finish from the one displayed above, Project details / specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website <http://hrera.in>

Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges if applicable. *T & C Apply. 1 Sq. mt = 10.7639 sq. ft.

Sterlin Buildcon Pvt. Ltd., Ground Floor, Tower - A, South City -1, Gurugram, Haryana - 122001 CIN: U70109DL2009PTC195052 | www.signatureglobal.in